न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 617 सन 2020
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. बीरबलराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
2. शारदा पुत्री बीरबलराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
3. अजयसिह पुत्र प्रभूसिह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
4. अशोक कुमार पुत्र प्रभूसिह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
5. दलवीर पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
6. प्रभूसिह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज.

निर्णय दिनांक :– 22/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 की कुल 11.0410है० वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 सुयक्त खाता में दर्ज है तथा चक 3 बारानी के खाता संख्या 272/224 की कुल 3.5420है० भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम सयुक्त रूप से एवं चक 7 केएनएन के खाता संख्या 60/60 की कुल 0.2530है० वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 56 के नाम सयुक्त रूप से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम वल्द रावताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बीरबलराम वल्द रावताराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र/पौत्रो वादी / प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई।

वाद भूमि जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो एक ही परिवार के सदस्य के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम वल्द रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एव काफी वृद्ध हो चुका है काश्त करने में असमर्थ है एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपनी हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादी सवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये आपसी सहमति से परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते है बाहमी बटवारा/परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के हक हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता बीरबलराम वल्द रावताराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के नाम उनके परिवारिक समझौते /बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण उनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 की कुल 11.0410हैक वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 सुयक्त खाता में दर्ज है तथा चक 3 बारानी के खाता संख्या 272/224 की कुल 3.5420हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम सयुक्त रूप से एवं चक 7 केएनएन के खाता संख्या 60/60 की कुल 0.2530हैक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 56 के नाम सयुक्त रूप से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम वल्द रावताराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा बीरबलराम वल्द रावताराम के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र/पोत्रों वादी / प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज हुई।

वाद भूमि जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जो एक ही परिवार के सदस्य के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम वल्द रावताराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम उनके हक हिस्सा के अनुसार दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है एव काफी वृद्ध हो चुका है काश्त करने में असमर्थ है एवं प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,3 ,5 ,6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है वादी सवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने काश्त की सुविधा के लिये आपसी सहमति से परिवारिक समझौता/बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार काश्त करते है बाहमी बटवारा/परिवारिक समझौता के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 की कुल 11.0410हैक्ट वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 सुयक्त खाता में दर्ज है तथा चक 3 बारानी के खाता संख्या 272/224 की कुल 3.5420हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 के नाम सयुक्त रूप से एवं चक 7 केएनएन के खाता संख्या 60/60 की कुल 0.2530हैक्ट वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 56 के नाम सयुक्त रूप से दर्ज है।

जमाबन्दी सम्वत 2057 से 2060 के अनुसार वाद भूमि बीरबलराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा बीरबलराम पुत्र रावताराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा बीरबलराम पुत्र रावताराम के देहान्त होने के वाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना साबित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 बहिब के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायियक दृष्टान्तो के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 के प0न0 333/362(396) के किला न0 1/2 की 0.161 ,2/2 की 0.165 ,3/2 की 0.165 ,4/2 कि 0.165 ,8 ,9 ,12 ,13 ,19 प्रत्येक 0.2530हैक्ट व किला न0 22/2 की 0.228 ,23/2 की 0.228 ,कुल किता 12 की 2.630हैक्ट व प0न0 338/351(37) के किला न0 6 ,15 ,16 प्रत्येक 0.253 व 24 मिन पूर्व की 0.0760हैक्ट किला न0 25/0.2520हैक्ट व प0न0 339/351(36) किला न0 11 ,12 ,20 प्रत्येक 0.2530हैक्ट व किला न0 21 मिन उत्तर पश्चिम की 0.215हैक्ट कुल 4.691हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार एवं रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 के प0न0 333/361(366) के किला न0 13 ,14 ,17 ता 20 प्रत्येक 0.2530 , 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 प्रत्येक की 0.1610हैक्ट कुल किता 10 की कुल 2.1620हैक्ट व प0न0 338/352(69) के किला न0 4 ,7 प्रत्येक 0.253 ,5 ,6 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.2350हैक्ट कुल 0.976हैक्ट प0न0 338/351(37) किला न0 24 मिन पश्चिम की 0.1770हैक्ट कुल 3.3150हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 की कुल 333/363(423) के किला न0 2/2 की 0.0380हैक्ट गै0मु0 रास्ता 2/3 की 0.1770हैक्ट 3/2 की 0.0380हैक्ट गै0मु0 रास्ता 3/3 की 0.1770हैक्ट 8 ,9 ,12 ,13 ,18 ,19 ,22 ,23 प्रत्येक 0.2530हैक्ट किता 12 की कुल 2.4540हैक्ट व प0न0 339/352(70) किला न0 1 ,10 प्रत्येक 0.2530हैक्ट व प0न0 338/352(69) किला न0 5 ,6 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.0180हैक्ट तथा रोही मौजा 3 बारानी के

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

खाता संख्या 272/224 के प0न0 340/353(80) किला न0 12 ,13 ,18 ,19 ,20 ,23 ,24 प्रत्येक 0.2530हक्ट कुल 1.771हैक्ट तथा रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता संख्या 60 की 0.2530हैक्ट कुल 5.02हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 5 खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 272/224 के प0न0 339/354(119) के किला न0 5/1 की 0. 0380गै0मु0 रास्ता . 5/2 की 0.025हैक्ट गै.मु. रास्ता 5/3 की कुल 0.190हैक्ट 6/1 की कुल 0.0250गै0मु0 रास्ता 6/2 की 0.2280हैक्ट कुल 0.5060हैक्ट व प0न0 340/353(80) किला न0 21 ,22 प्रत्येक 0.2530 व प0न0 340/354(120) किला न0 1 ता 3 प्रत्येक 0. 2530हैक्ट कुल 1.7710हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 के प0न0 339/351(36) के किला न0 21 मिन पूर्व 0.0250हैक्ट व दक्षिण मिन पूर्व 0.0130हैक्ट कुल 0.0380हैक्ट प0न0 338/351(37) के किला न0 25 मिन दक्षिण पूर्व कोना की 0.001हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है उक्त भूमि/खातो से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 22/05/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 बीरबलराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
2. शारदा पुत्री बीरबलराम जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
3. अजयसिह पुत्र प्रभूसिह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
4. अशोक कुमार पुत्र प्रभूसिह जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
5. दलवीर पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
6. प्रभूसिह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी मलवानी तहसील नोहर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 617 सन 2020 निर्णय दिनांक– 22/9/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 के प0न0 333/362(396) के किला न0 1/2 की 0.161 ,2/2 की 0.165 ,3/2 की 0.165 ,4/2 कि 0.165 ,8 ,9 ,12 ,13 ,19 प्रत्येक 0.2530हैक व किला न0 22/2 की 0.228 ,23/2 की 0.228 ,कुल किता 12 की 2.630हैक व प0न0 338/351(37) के किला न0 6 ,15 ,16 प्रत्येक 0.253 व 24 मिन पूर्व की 0.0760हैक किला न0 25/0.2520हैक व प0न0 339/351(36) किला न0 11 ,12 ,20 प्रत्येक 0.2530हैक व किला न0 21 मिन उत्तर पश्चिम की 0.215हैक कुल 4.691हैक भूमि का वादी खातेदार काश्तकार एवं रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 के प0न0 333/361(366) के किला न0 13 ,14 ,17 ता 20 प्रत्येक 0.2530 , 21/2 ,22/2 ,23/2 ,24/2 प्रत्येक की 0.1610हैक कुल किता 10 की कुल 2.1620हैक व प0न0 338/352(69) के किला न0 4 ,7 प्रत्येक 0.253 ,5 ,6 प्रत्येक की मिन पश्चिम 0.2350हैक कुल 0.976हैक प0न0 338/351(37) किला न0 24 मिन पश्चिम की 0.1770हैक कुल 3.3150हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 की कुल 333/363(423) के किला न0 2/2 की 0.0380हैक गै0मु0 रास्ता 2/3 की 0.1770हैक 3/2 की 0.0380हैक गै0मु0 रास्ता 3/3 की 0.1770हैक 8 ,9 ,12 ,13 ,18 ,19 ,22 ,23 प्रत्येक 0.2530हैक किता 12 की कुल 2.4540हैक व प0न0 339/352(70) किला न0 1 ,10 प्रत्येक 0.2530हैक व प0न0 338/352(69) किला न0 5 ,6 प्रत्येक की मिन पूर्व 0.0180हैक तथा रोही मौजा 3 बारानी के खाता संख्या 272/224 के प0न0 340/353(80) किला न0 12 ,13 ,18 ,19 ,20 ,23 ,24 प्रत्येक 0.2530हक कुल 1.771हैक तथा रोही मौजा चक 7 केएनएन के खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 60 की 0.2530हैक कुल 5.02हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 5 खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 272/224 के प0न0 339/354(119) के किला न0 5/1 की 0.0380गै0मु0 रास्ता , 5/2 की 0.025हैक गै.मु. रास्ता 5/3 की कुल 0.190हैक 6/1 की कुल 0.0250गै0मु0 रास्ता 6/2 की 0.2280हैक कुल 0.5060हैक व प0न0 340/353(80) किला न0 21 ,22 प्रत्येक 0.2530 व प0न0 340/354(120) किला न0 1 ता 3 प्रत्येक 0.2530हैक कुल 1.7710हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 6 खातेदार काश्तकार तथा रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 189/189 के प0न0 339/351(36) के किला न0 21 मिन पूर्व 0.0250हैक व दक्षिण मिन पूर्व 0.0130हैक कुल 0.0380हैक प0न0 338/351(37) के किला न0 25 मिन दक्षिण पूर्व कोना की 0.001हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 बहिब मुश्तरका खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है उक्त भूमि/खातो से प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner